

संख्या 2/1/87-पी.पी.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

पी० पी० प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 1987

कार्यालय जापन

विषय :- चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, समूह "ख", "ग" और "घ" संवर्गों की संवर्गीय पुनरीक्षा के मार्ग-दर्शी सिद्धान्त ।

आवधिक संवर्गीय पुनरीक्षा किसी संगठन के कार्मिक प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण अंग होता है । संवर्ग के सुगम कार्यकरण तथा इसके सदस्यों का मनोबल बनाए रखने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण करती है । संवर्ग पुनरीक्षा में मुख्यतः जनशक्ति-नियोजन और वैज्ञानिक ढंग से भर्ती नियोजन पर बल दिया जाना चाहिए और उसके साथ-साथ यह उद्देश्य होना चाहिए कि संवर्ग की कार्यक्षमता, मनोबल और प्रभावकारिता में सुधार लाने की दृष्टि से मौजूदा संवर्ग संरचना को युक्ति संगत बनाया जा सके । इस मंत्रालय ने समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों की संवर्गीय पुनरीक्षा करने के लिए, समय समय पर हाशिए में दर्शाए गए अनुदेश जारी किए थे ।

i	संख्या 5/45/77-पी.पी. दिनांक 26.8.77
ii	संख्या 5/22/71-पी.पी. दिनांक 13.1.82
iii	संख्या 5/20/85-पी.पी. दिनांक 19.11.85

2. चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने भी संवर्गीय पुनरीक्षा तथा समूह "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों की पदोन्नति नीति से सम्बद्ध मामलों के प्रश्न पर विचार किया था । इस सम्बन्ध में रिपोर्ट के पैराग्राफ 23-9 और 23-10 में आयोग द्वारा की गई सिफारिशें इस कार्यालय जापन के परिशिष्ट में उद्धृत की गई हैं ।

3. उपर्युक्त पैराग्राफ -1 में उल्लिखित अनुदेशों/अधिकृत्य करने हुए यह निर्णय किया गया है कि समूह "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों की संवर्गीय पुनरीक्षा करते समय निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाया जाएगा :-

संवर्गीय पुनरीक्षाएं करने के लिए ऐसी

3.1 संवर्गीय पुनरीक्षाएं संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी/द्वारा की जाएंगी ।

3.2 जिन संवर्गों की पुनरीक्षा की जानी है उनका नियन्त्रण करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभागीय संवर्ग पुनरीक्षा समितियों का गठन किया जाए और उनमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए :-

॥क॥ संबंधित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।

॥ख॥ एकीकृत वित्त ।

॥ग॥ संवर्गों के कार्मिक पहलुओं से संबंधित मंत्रालय/विभाग में प्रशासन स्थापना प्रभाग कार्मिक एक ।

॥घ॥ संबंधित क्षेत्रीय संगठन ।

॥ड॥ संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी/आवश्यक समझा जाने वाला कोई अन्य सदस्य ।

मंत्रालयों, विभागों इत्यादि के मार्गदर्शनों के लिए विभागीय संवर्गीय पुनरीक्षा समितियों का गठन करने के लिए कुछ उदाहरण इस कार्यालय शासन के संलग्न अनुबन्धों में दिये गए हैं :-

संवर्ग पुनरीक्षा को शासित करने वाले सिद्धान्त

3.3 संवर्गीय पुनरीक्षा को केवल स्टाफ के सदस्यों को पदोन्नति अक्सर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से पदों को स्तरोन्नत करने की एक आवश्यकता के रूप में समझने की बजाए प्रवेश स्तर पर की जाने वाली सालाना भर्ती, रख रखाव संबंधी आवश्यकताओं तथा वृद्धि इत्यादि को ध्यान में रखते हुए - सम्पूर्ण जनशक्ति आयोजन की एक कार्रवाई के रूप में समझा जाना चाहिए ।

- 3.4 संवर्ग पुनरीक्षा, कार्यत्मक एवं संरचनात्मक तत्वों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए और ऐसा करते समय झूटी तथा जिम्मेदारियों और संगठन/विभाग में कार्यकुशलता में सुधार लाने की आवश्यकता की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।
- 3.5 जहाँ कहीं भी स्टाफ की व्यवस्था के लिए स्टाफ निरीक्षण एका द्वारा पहले ही मानदण्ड/माप दण्ड निर्धारित कर दिए गए हैं तो उन्हें विभिन्न प्रवर्गों/ग्रेडों की संवर्गीय पुनरीक्षा करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए ।
- 3.6 संवर्गीय पुनरीक्षा की कार्रवाई को संवर्ग में गतिरोध के स्तर से जोड़े बिना, समूह "ख", "ग" और "घ" के सभी पदों के मामले में आवधिक रूप से की जाए ।
- 3.7 संवर्ग पुनरीक्षा करते समय समयबद्ध पदोन्नतिधो पर केवल उन्हीं आपवादिक मामलों में विचार किया जाए, जहाँ सम्बन्धित स्टाफ के सम्बद्ध वर्गों/ग्रेडों के सेवा नियमों में इसकी व्यवस्था की गई हो । संवर्गीय पुनरीक्षा संगठन की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं से मेल खाती हुई होनी चाहिए ।
- 3.8 संवर्गीय पुनरीक्षा करते समय, प्रशासनिक मंत्रालय को प्रवर्गों/ग्रेडों को परस्पर मिलाकर युक्तियुक्त बनाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि समय गुजारने के साथ-साथ, हो सकता है कि प्रत्येक सेवा के प्रवर्गों, स्तरों तथा ग्रेडों की संख्या में काफी वृद्धि हो जाए । तब जेकिट अथवा अविच्छिन्न विभेदन की बजाय, एक बहु विषम क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर विचार किया जाए ।
- 3.9 इक्का-दुक्का प्रवर्गों में जिनमें कि अगले ग्रेड पर पदोन्नति होने की सम्भावना नहीं है, वहाँ इन पदों के लिए आवश्यक अर्हताओं और अनुभव, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी पहचान करने का प्रयास

किया जाना चाहिए ताकि उन्हें विद्यमान संवर्गों में क्लियर किया जा सके। यदि उन्हें किसी विद्यमान अथवा प्रस्तावित मदानुक्रम वाले ढाँचे में मिलाया जाना सम्भव न हो तो इन पदों को सीधी भर्ती द्वारा नहीं बल्कि प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना चाहिए ताकि ऐसे पदों पर कर्मचारियों को गत्यावरोध का सामना न करना पड़े।

आवृत्ति

3.10 संवर्ग पुनरीक्षा की कार्रवाई प्रत्येक पांच वर्ष के बाद की जाए।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की भूमिका

3.11 समूह "ख", "ग" तथा "घ" संवर्गों की संवर्ग पुनरीक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी संगत मंत्रालयों/विभागों में संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों की होगी। मंत्रालयों तथा विभागों का यह कर्तव्य होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि संवर्ग पुनरीक्षा का कार्य मार्ग निर्देशनों को ध्यान में रखकर ठीक समय पर किया जाता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नीति निर्धारित करेगा, मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों/मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए संवर्ग पुनरीक्षणों की प्रगति की समीक्षा करेगा।

वेद प्रकाश २०५९

वेद प्रकाश उष्मल

निदेशक एपी.पी.ए.

सेवा में।

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/मानक सूची के अनुसार

सामान्य सीढ़ा में अतिरिक्त प्रतियों सहित।

2. गृह मंत्रालय/कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बन्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।

3. सभी संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें/प्रशासन।

4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/भारत का नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक } 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

5. पंजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय।

6. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।

7. गृह मंत्रालय/कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।

चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 23 शीर्षक "पदोन्नति नीति" के पैरा 23.9 तथा 23.10 से उद्धरण।

23.9 यह प्रतीत होता है कि सेलेक्शन ग्रेडों के लागू किये जाने और एक-स्थित वेतन वृद्धि के दिए जाने से अस्थायी सात्वना मिली है। स्थिरता और अपर्याप्त पदोन्नति अवसरों की समस्या का एक युक्तिसंगत कांडर संरचना और लम्बे वेतनमान हैं। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कर्मचारियों को, उनके कृत्यों का पालन करने में अपना सर्वोत्तम अंशदान करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उन्हें पदोन्नति अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। साथ-साथ संगठन की कार्य क्षमता आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के साथ सेवा में उन्नति की प्रणाली भी सम्मिलित की जानी चाहिए। इसलिए, उन पदोन्नतियों की संख्या जो एक कर्मचारी की अपने सेवा कार्यकाल में और सेवा की अवधि जो ऐसे सावधिक पदोन्नतियों के लिए अर्हक हो, के संबंध में किसी ठोस फार्मूल क निर्धारण करना व्यावहारिक नहीं है।

x x

x x

x x

x x

23.10 ————— इसलिए हमारा यह मत है कि ग्रुप "ग" और "घ" के पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड, जहां भी यह लागू है, को लागू नहीं रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस समय सेलेक्शन ग्रेडों में कार्य कर रहे हैं उन्हें हमारे द्वारा सिफारिश किए गए समुचित वेतनमानों में कार्य करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। उन कर्मचारियों को जो अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुके हैं को राहत दिए जाने के लिए हम सिफारिश करते हैं कि उन्हें प्रत्येक दो वर्षों के पूरा करने पर उनके वेतनमानों में एक-एक स्थिरता वेतन वृद्धि दे दी जानी चाहिए। अधिक से अधिक तीन ऐसी वेतन वृद्धियों की अनुमति दी जानी चाहिए। स्थिरता वेतन वृद्धि को योजना ग्रुप "घ" "ग" और "घ" और ग्रुप "क" के और सीनियर टाइम स्केल स्तर के सभी कांडरों पर लागू की जानी चाहिए। इसके साथ साथ एक निर्धारित अवधि के पश्चात् कांडर का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए। वार्षिक प्रशासन में प्रवीणता को उन्नत बनाने के साथ-साथ कर्मचारियों के कार्य में और जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए ग्रेडों/पदों जिनको अपग्रेड किया जा सकता है उनका प्रता लगाया जा सके।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के लिए संवर्ग पुनरीक्षा समिति का प्रस्तावित गठन

1. शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव ।
2. मुख्य इंजीनियर -- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ।
3. वित्तीय सलाहकार ।
4. निदेशक {प्रशासन} -- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में फार्मसिस्टों के लिए संवर्ग पुनरीक्षा समिति का प्रस्तावित गठन

1. स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव ।
2. वित्तीय सलाहकार ।
3. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का प्रतिनिधि ।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ।

भारतीय सर्वेक्षण में ग्राहककार {डाटाटर्मिन} के पद के लिए प्रस्तावित गठन

1. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव ।
2. वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार {एस एण्ड टी.} ।
3. उप महानिदेशक, भारतीय सर्वेक्षण ।
4. निदेशक/उप सचिव {प्रशासन} ।